विदेशी मुद्रा गतिविधियाँ

सितंबर 2006

(I) वित्तीय क्षेत्र में विनियमित कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

समेकित आधार पर समुद्रपारीय परिचालनों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए समुद्रपार किसी भी कार्यकलाप में निवेश करने वाली भारत के वित्तीय क्षेत्र की विनियमित कंपनियों को 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004) के विनियम 7 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है।

भारत में वित्तीय सेवा कार्यकलापों में लगी हुई अविनियमित भारतीय कंपनियां 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004) के विनियम 6 के अधीन समुद्रपार गैर वित्तीय क्षेत्र के कार्यकलापों में निवेश कर सकती है।

समुद्रपार मंडियो (कोमोडिटिज एक्सचेंजेस ओवरसीज) में व्यापार और समुद्रपार मंडियों में व्यापार के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना को वित्तीय सेवा कार्यकलाप समझा जाएगा और उन्हें वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) से मंजूरी की आवश्यकता होगी। अतः समुद्रपार मंडियों में व्यापार करने के लिए संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना की इच्छुक कंपनियां विनियामक मंजूरी के लिए वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) से संपर्क कर सकती हैं।

[एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 6 दिनांक 6 सितंबर 2006]

(II) नायगर सरकार को एग्ज़िम बैंक की 17 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्ज़िम बैंक) ने नायगर सरकार को 17 मिलियन अमरीकी डॉलर (सत्रह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई है। यह ऋण भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भारत से माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। यह ऋण करार 30 अगस्त 2006 से लागू हो गया है।

[एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.7 दिनांक 25 सितंबर 2006]

(III) मॉरिशस सरकार को एग्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्ज़िम बैंक) ने मॉरिशस सरकार को भारत सरकार की विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत मॉरिशस में बेई डयू टाँब्यू मलजल व्यवस्था परियोजना के निर्माण के लिए भारत से मॉरिशस को उपकरण, माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई है। यह ऋण करार 11 अगस्त 2006 से लागू हो गया है।

[एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8 दिनांक 25 सितंबर 2006]